अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

पत्रिका

जनवरी 2004 केवल सदस्यों के लिए मूल्य : 2 रुपये

सी आइ टी यू का ग्यारहवां महाधिवेशन

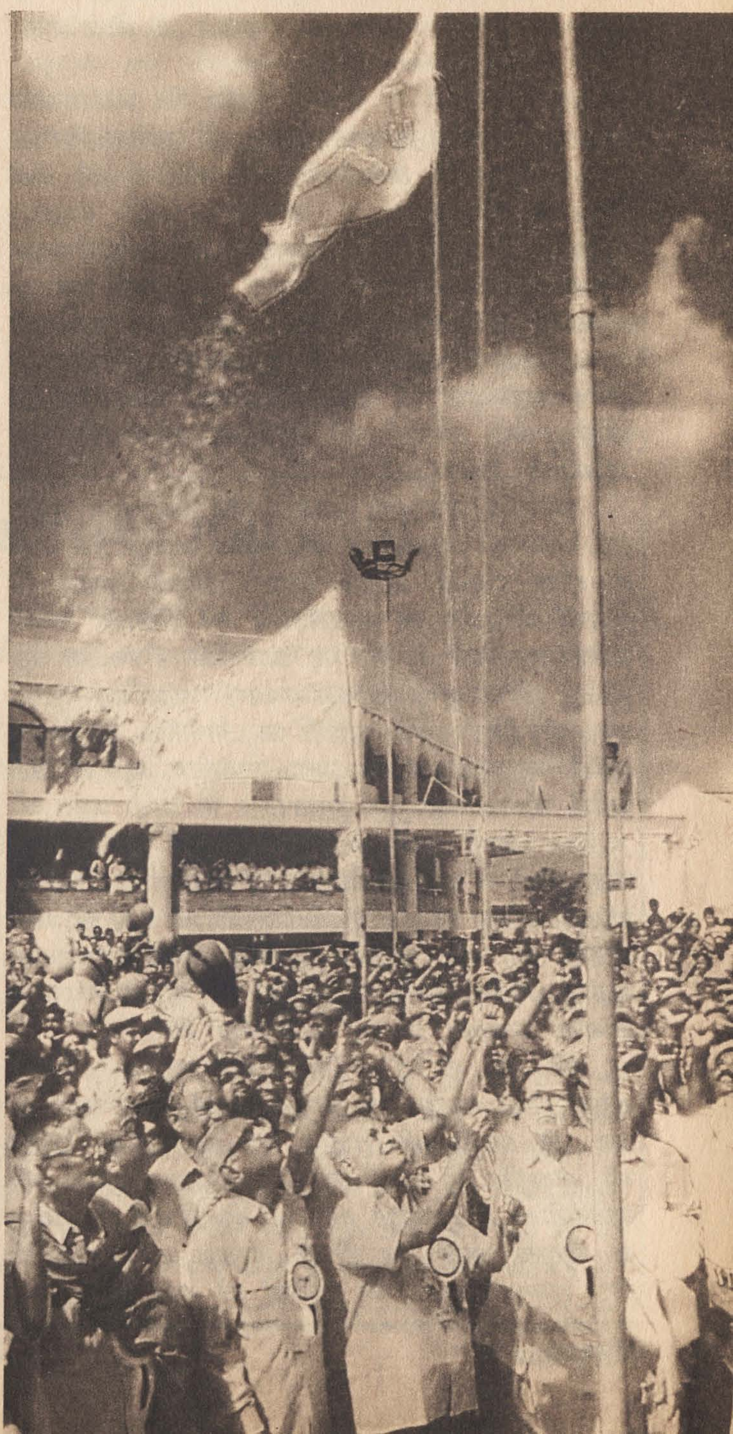

सी आइ टी यू का ग्यारहवां महाधिवेशन 9 दिसम्बर, 2003 को 'राम मूर्ति नगर' (राम लक्ष्मी पैराडाइज़) चेन्नई में शुरु हुआ; उस समय उत्सव का माहौल था। सुबह 8 बजे परम्परागत 'नादस्वरम' के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुए; उसके पश्चात् श्रमिकों तथा कर्मचारियों के अनेक समूहों की ओर से प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी गीतों का गायन किया गया।

प्रतिनिधियों एवं जीवन की प्रत्येक श्रेणी के लोगों की एक विशाल भीड़ परिसर के विशाल मैदान में इकट्ठी हुई। इसके साथ ही महाधिवेशन का उद्घाटन सत्र शुरू हुआ। देश के ओर छोर से सी आइ टी यू का संदेश जनता तक पहुंचा कर चेन्नई पहुंचे छह जत्थों का स्वागत सी आइ टी यू के अध्यक्ष कामरेड ई बालानन्दन तथा महासचिव कामरेड एम के पन्धे की ओर से किया गया। सी आइ टी यू के सचिव कामरेड कनाई बनर्जी ने जत्थों के नेताओं तथा सदस्यों का परिचय कराया और कामरेड ई बालानन्दन की ओर से उनका सम्मान किया गया।

उद्घाटन सत्र का प्रारम्भ उस समय हुआ जब महिलाओं तथा पुरुषों की एक टुकड़ी जिसने खाकी पेंट तथा लाल कमीजें पहन रखी थी, ने ढोल बजाते हुए शहीद बेदी तक मार्च किया; वहां पहुंच कर बालानन्दन ने 'सी आइ टी यू जिंदाबाद' 'इंकलाब जिंदाबाद' के आक़ाश गुंजाऊ नारों के बीच लाल झण्डा फहराया। बालानन्दन तथा पन्धे के नेतृत्व में सी आइ टी यू सचिव मण्डल के सदस्यों ने शहीद बेदी पर फूल मालाएं चढ़ा कर श्रमिक आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की। स्वागत समिति के अध्यक्ष कामरेड एन शंकरय्या ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। बालानन्दन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की चर्चा करते हुए बताया कि 11 सितम्बर 2001 को न्यूयार्क तथा वाशिंगठन पर हमलों के बाद किस प्रकार अमरीका दिन प्रतिदिन दूसरे देशों के खिलाफ युद्धरत होता चला

जा रहा है; वह सीधे तौर पर प्रभुता सम्पन्न देशों पर सैनिक हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों की अर्थ व्यवस्था निरंतर मंदे की मार झेल रही है जिनमें अमरीका तथा जापान की अर्थ व्यवस्थाएं भी शामिल हैं। इसके विपरीत समाजवादी चीन लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जा रहा है; उसकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन मजबूत से मजबूत होती चली जा रही है। उन्होंने सी आइ टी यू के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वे देश में श्रमिक वर्ग को एकजुट करने के लिये काम करें; साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में उनका नेतृत्व करें और शोषण से मुक्त समाजवादी समाज की स्थापना के लिये कठोर संघर्ष करें।

उद्घाटन सत्र में सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके जय ललिता सरकार की श्रमिक विरोधी, जन विरोधी तथा तानाशाही वाली नीतियों की कड़ी निंदा की गई।

डब्ल्यू एफ टी यू के अध्यक्ष के एल महेन्द्रा, एटक के महासचिव गुरुदास दासगुप्त, एच एम एस के सचिव ए सुबरामण्यम, यू टी यू सी (एल एस) की अध्यक्ष कश्णा चक्रवर्ती, टी यू सी सी के उपाध्यक्ष शिव शंकर, एल पी एफ के अध्यक्ष कुप्पूस्वामी ने अपने अपने संगठनों की ओर से महाधिवेशन का अभिवादन किया।

प्रतिनिधि सत्र बाद दोपहर तीन बजे शुरू हुआ। सर्व प्रथम सी आइ टी यू की सचिव कामरेड हेम लता ने शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सचिव मण्डल के सदस्यों की ओर से महाधिवेशन की संचालन अथवा स्टीयरिंग समिति के तौर पर काम किया। रणजीत बसु (केन्द्र), सोमेन कुण्डु (पश्चिम बंगाल), पद्मालोचन (केरल) तथा पी रोजा (आंध्र प्रदेश) पर आधारित क्रीडेंशियल कमेटी का चुनाव किया गया; रणजीत बसु को उस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया।

18 देशों तथा 23 संगठनों के 42 विदेशी प्रतिनिधियों ने भी महाधिवेशन में भाग लिया। उनका परिचय कराया गया और प्रतिनिधियों की ओर से भारी उत्साह के साथ जोरदार तालियां बजा कर उनका स्वागत किया गया। सी आइ टी यू के उपाध्यक्ष कामरेड उमानाथ ने उन्हें सम्मानित किया।

सी आइ टी यू के महासचिव एम के पन्धे ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें पिछले महाधिवेशन के बाद की अवधि की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की पृष्ठभूमि में सी आइ टी यू द्वारा चलाई गई गतिविधियों की समीक्षा की गई थी। रिपोर्ट में भाजपा के नेतश्त्व वाली एन डी ए सरकार की उदारीकरण तथा भूमण्डलीयकरण की नीतियों को मात देने; श्रमिक वर्ग पर हमलों का प्रतिकार करने और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता की रक्षा करने के उद्देश्य से श्रमिक वर्ग को एकजुट करने तथा संघर्षों को और अधिक तेज करने के लिये किये जाने वाले कामों को रेखांकित किया गया था। पंधे ने उपरोक्त लक्ष्यों को पाने के लिये संयुक्त आंदोलन का निर्माण करने की कोशिशें करने के साथ-साथ सी आइ टी यू के संगठन को मजबूत बनाने तथा स्वतंत्र रूप से गतिविधियां चलाने की जरुरत पर भी जोर दिया। कोषाध्यक्ष रणजीत बसु ने लेखा वक्तव्य प्रस्तुत किया।

48 प्रतिनिधियों जिनमें 8 महिलाएं भी थीं, ने महासचिव की रिपोर्ट पर बहस में भाग लिया और उनकी ओर से रिपोर्ट का पूर्ण समर्थन किया गया। अनेक वक्ताओं ने विस्तार में अपने-अपने राज्यों के अनुभवों का वर्णन करते हुए रिपोर्ट में उद्धत बिन्दुओं को मजबूत बनाया।

11 दिसम्बर को दोपहर के सत्र में सम्पूर्ण महाधिवेशन की ओर से 'कामकाजी महिलाओं के बीच कामों पर घोषणापत्र' पर विचार किया गया। सी आइ टी यू की सचिव हेमलता ने घोषणापत्र प्रस्तुत किया जिसमें कामकाजी महिलाओं का मांग पत्र तथा भावी कार्यों का उल्लेख भी किया गया था; यह मांग पत्र कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति के 11-12 अक्टूबर, 2003 को मुम्बई में सी आइ टी यू महाधिवेशन के एक भाग के रूप में आयोजित सातवें सम्मेलन में पारित की गई थी। 13 महिलाओं सहित कुल 27 प्रतिनिधियों ने इस पर बहस में भाग लिया।

12 दिसम्बर वाले दिन प्रतिनिधियों को छह कमिशनों में बांट दिया गया; इसके लिये अलग से हाल बनाए गए थे जिनका नामकरण श्रमिक आंदोलन के छह पुरोधाओं के नाम पर किया गया था। 'साम्राज्यवाद, वित्तीय पूंजी, भूमण्डलीयकरण एवं राष्ट्रीय प्रभुसत्ता' के कमिशन की अध्यक्षता पी के गुरुदासन ने की जबकि चित्तव्रत मजूमदार ने रिपोर्टर के रूप में काम किया। सी आइ टी यू के सचिव कनाई बनर्जी ने 'मजदूरों के अधिकारों पर हमले' कमिशन की अध्यक्षता की जबकि सी आइ टी यू के सचिव तपन सेन ने रिपोर्टर के रूप में काम किया। 'बेरोजगारी-ट्रेड यूनियन परिप्रेक्ष्य' कमिशन की अध्यक्षता सी आइ टी यू के सचिव श्यामल चक्रवर्ती ने की जबकि स्वदेश देव राय उसके रिपोर्टर थे। सी आइ टी यू के सचिवों एस वीरय्या, एस के बख्शी तथा काली घोष ने 'असंगठित क्षेत्र', 'असली सामाजिक सुरक्षा के लिये संघर्ष' और 'बाल मजदूरी' जैसे कमिशनों की अध्यक्षता की थी जबकि सी आइ टी यू के सचिवों पी के गांगुली,

हेमलता तथा डब्ल्यू आर वरद राजन ने इन कमिशनों के रिपोर्टर्स के रूप में काम किया था। प्रत्येक कमिशन में लगभग 300 प्रतिनिधियों ने बड़े उत्साह के साथ पूरा दिन इन विषयों पर हुई बहस में भाग लिया। इन कमिशनों में प्रतिनिधियों की ओर से उठाए गए बिंदुओं को रिपोर्टर्स की ओर से 13 दिसम्बर को पूर्ण सत्र में प्रस्तुत किया गया। नव निर्वाचित सचिव मण्डल को अधिकार दिया गया कि वह कमिशनों में हुई बहसों पर आधारित इन दस्तावेजों को अंतिम रूप दे।

प्रजाशक्ति की ओर से प्रकाशित सी आइ टी यू के संस्थापक अध्यक्ष कामरेड बी टी रणदिवे की जीवनी तथा ग्यारहवें महाधिवेशन के अवसर पर स्वागत समिति की ओर से प्रकाशित सोवनियर का लोकार्पण भी महाधिवेशन में किया गया।

पंधे ने महासचिव की रिपोर्ट पर हुई बहस तथा 'कामकाजी महिलाओं के बीच कामों' पर आयोजित विशेष सत्र में प्रतिनिधियों की ओर से उठाए गए बिंदुओं का जवाब दिया; उसके बाद प्रतिनिधियों की ओर से जोरदार तालियां बजा कर सर्वसम्मति से महासचिव की रिपोर्ट तथा लेखा वक्तव्य को पारित कर दिया गया।

निवर्तमान सचिव मण्डल की ओर से उपाध्यक्ष आर उमानाथ की ओर से नये सचिव मण्डल के लिये नये पैनल का प्रस्ताव पेश किया गया। महाधिवेशन ने सर्वसम्मति से उसका चुनाव किया। एम के पन्धे को सी आइ टी यू का नया अध्यक्ष चुना गया जबकि चित्तब्रत मजूमदार नये महासचिव के रूप में चुन लिया गया। ई बालानन्दन उपाध्यक्ष के रूप में सी आइ टी यू का काम करते रहेंगे। महाधिवेशन की ओर से चार महिलाओं को भी पदाधिकारियों के रूप में चुना गया। नयी जनरल कौंसिल तथा कार्य समिति का चुनाव भी किया गया।

महाधिवेशन ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकारी कर्मचारियों के अखिल भारतीय महासंघ तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों एवं श्रमिकों के परिसंघ की ओर से हड़ताल के अधिकार पर फरवरी में राष्ट्र व्यापी हड़ताल करने के लिये किये गए फैसले का स्वागत किया। सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों को आह्वान किया गया कि वे हड़ताल में भाग लें। महाधिवेशन में और भी अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किये गएः 'इराक पर साम्राज्यवादी कब्जे के खिलाफ', 'फलस्तीन में वर्तमान स्थिति पर', 'साम्प्रदायिक एवं बुनियादपरस्त ताकतों के खिलाफ', 'बेरोजगारी की बिगड़ती चली जा रही स्थिति पर', 'खेतिहर श्रमिकों

(शेष पृष्ठ 5 पर)

बी टी आर की जन्म शताब्दी मनाई गई

सी आइ टी यू के संस्थापक अध्यक्ष कामरेड बी टी रणदिवे का जन्म 19 दिसम्बर, 1904 को हुआ था। सी आइ टी यू के ग्यारहवें महाधिवेशन में आगामी वर्ष को बी टी आर जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया था। इस वर्ष उनकी शिक्षाओं का प्रचार श्रमिक वर्ग तथा देश के मेहनतकश अवाम में किया जाएगा।

नयी दिल्ली स्थित सी आइ टी यू के केन्द्रीय कार्यालय बी टी आर भवन में 19 दिसम्बर, 2004 को एक सभा का आयोजन किया गया। पूरा सभागार श्रमिकों एवं कर्मचारियों से खचाखच भरा हुआ था। सी आइ टी यू की सचिव कामरेड हेमलता ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सभा के प्रमुख वक्ता सी आइ टी यू के सचिव कामरेड कनाई बनर्जी थे। उन्होंने बेरोजगारी, साम्प्रदायिकता, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, मजदूर किसान गठजोड़ के महत्व, श्रमिक आंदोलन में कामकाजी महिलाओं की भूमिका, संयुक्त मोर्चे के दावपेच इत्यादि बी टी आर की शिक्षाओं के अनेक पक्षों पर विचार डाला। मेहनतकश अवाम के हित में राजनीतिक तबदीली लाने में श्रमिक वर्ग की ओर से अग्रणी भूमिका निभाए जाने की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने बताया कि कामरेड बी टी आर की शिक्षाएं हमारे संगठन तथा श्रमिक आंदोलन के लिये आज भी प्रासंगिक हैं जबकि श्रमिक वर्ग के सामने मुंह बांए खड़ी चुनौतियां आज कई गुणा बढ़ चुकी हैं।

सी आइ टी यू के सचिव कामरेड तपन सेन ने शताब्दी वर्ष मनाने के लिये सी आइ टी यू की ओर से बनाए गए कार्यक्रम पर विस्तार में प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संगोष्ठियों, कक्षाओं, कार्य शालाओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने ट्रेड यूनियन स्कूल तथा बी टी आर स्मारक शोध केन्द्र के कामों पर भी प्रकाश डाला। सी आइ टी यू के सचिव कामरेड जीवन राय संसद सदस्य ने सभा का समापन करते हुए कामरेड बी टी आर के क्रांतिकारी जीवन एवं कार्यों की चर्चा की। उन्होंने श्रमिक वर्ग के इस नेता की विद्रोही प्रकृति पर प्रकाश डाला और कहा कि वह इस शोषणकारी पूंजीवादी समाज के खात्में तथा समाजवादी समाज की स्थापना करने के संघर्ष के लिये प्रतिबद्ध थे।

सी आइ टी यू महाधिवेशन : कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर घोषणापत्र जारी

चेन्नई में 9-13 दिसम्बर, 2003 को आयोजित सी आइ टी यू के ग्यारहवें महाधिवेशन में कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर हमारे कामों पर विचार किया गया। इसके लिये 11 दिसम्बर को आधे दिन के विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। यह बहस उस 'घोषणा पत्र' पर आधारित थी जिसे सी आइ टी यू की सचिव कामरेड हेमलता ने प्रस्तुत किया था।

हेमलता ने इस पर चर्चा करते समय महाधिवेशन को याद दिलाया कि इसी शहर में आज से 24 वर्ष पूर्व कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि समन्वय समिति का गठन करने का मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को संगठित करना था; विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां वे संगठित नहीं हैं; महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना; उन्हें पदोन्नति देकर नेतृत्वकारी पदों पर लाना और कामकाजी महिलाओं की विशाल श्रेणियों में सी आइ टी यू के संदेश का प्रचार करना; उनमें वे महिलाएं भी शामिल हैं जो सी आइ टी यू के साथ असम्बद्ध यूनियनों में काम करती हैं। उन्होंने बताया कि इस दिशा में कुछ सुधार अवश्य हुआ है किन्तु अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

इन सभी वर्षों में सी आइ टी यू की ओर से किये गए प्रयासों के फलस्वरूप सी आइ टी यू में महिलाओं की सदस्य संख्या बढ़ी है। सी आइ टी यू की वर्तमान सदस्य संख्या जिसके आधार पर इस महाधिवेशन का आयोजन किया गया है, में 20 प्रतिशत भाग महिलाओं का है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश जैसे अनेक राज्यों में सी आइ टी यू की सदस्य संख्या में महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। कुछेक राज्यों के राज्य सम्मेलनों में 30-40 प्रतिशत प्रतिनिधि महिलाएं ही थीं। हाल ही में सम्पन्न राज्य सम्मेलनों में पहले से अधिक महिलाएं राज्य समितियों के लिये चुनी गई हैं; महिला पदाधिकारियों की संख्या भी बढ़ी है। असम में राज्य समिति के कुल सदस्यों का 33 प्रतिशत भाग महिलाओं का है। इस महाधिवेशन में भी महिला प्रतिनिधियों की संख्या पिछले महाधिवेशनों की तुलना में अधिक रही है।

किन्तु अब भी अनेक कमियां पाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि कुछ मजबूत राज्य अपने लिये निर्धारित कोटे के अनुसार महिला प्रतिनिधि नहीं लाए हैं। इसके परिणाम स्वरुप इस महाधिवेशन में भाग लेने वाली महिला प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 11 प्रतिशत रही जबकि इसका कुल कोटा 17 प्रतिशत निश्चित किया गया था। सी आइ टी यू को अब भी असंगठित क्षेत्र तथा घरेलू काम धंधों में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं की विशाल संख्या को संगठित करना है। यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। नेतश्त्वकारी पदों पर महिलाओं की संख्या उनकी सदस्य संख्या की तुलना में कम है। कुछ राज्यों में अब भी महिलाओं को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिये यात्रा व्यय नहीं मिलता है। सी आइ टी यू तथा समन्वय समिति की ओर से लिये गए अनेक निर्णयों को लागू नहीं किया गया है।

हेमलता ने बताया कि उदारीकरण के युग में संगठित क्षेत्र सिकुड़ रहा है और असंगठित क्षेत्र फैलता चला जा रहा है। महिलाओं की विशाल संख्या असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रूप में काम करती है। उन्होंने उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ प्रभावशाली ढंग से संघर्ष करने तथा श्रमिक वर्ग को एकजुट करने के उद्देश्य से कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने उन कार्यों को रेखांकित किया जो कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति के सातवें सम्मेलन ने सी आइ टी यू महाधिवेशन में पारित करने के लिये निर्धारित किये थे। उन्होंने बताया कि इन कार्यों को पूरा करना केवल समन्वय समिति का ही नहीं बल्कि सी आइ टी यू का भी कर्त्तव्य है।

हेमलता की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट पर बहस में 19 राज्यों के 27 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें 14 महिलाएं थीं। 'घोषणापत्र' का अनुमोदन करते हुए प्रतिनिधियों ने कुछ महत्वपूर्ण और रोचक बिंदु उठाए। उन्होंने बताया कि महिला कार्यकर्ताओं को यूनियन तथा घरेलू जिम्मेदारियों में तालमेल कायम करने में कठिनाई पेश आती है। अनेक पुरुष जिनमें सी आइ टी यू के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, घरेलू

दायित्वों का निर्वहन करने के मामले में महिलाओं के साथ सहयोग नहीं करते। अनेक पुरुष आज भी यह समझते हैं कि घरेलू कामों के लिये मदद मांगना 'नारीवादी' है और वे इसका विरोध करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सी आइ टी यू को अपने कार्यकर्ताओं के बीच घरेलू कामों में सहयोग देने की संस्कृति को विकसित करना चाहिये। बहस में सामंतवादी तथा पुरातनपंथी विचारों के खिलाफ संघर्ष करने तथा इन पर काबू पाने के महत्व पर भी बल दिया गया। अनेक वक्ताओं ने महिला कार्यकर्ताओं के लिये ट्रेड यूनियन शिक्षा के महत्व पर बल दिया और विचार व्यक्त किया कि श्रमिक संघों को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना चाहिये और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को संगठित करना चाहिये।

सी आइ टी यू के महासचिव एम के पन्धे ने महासचिव की रिपोर्ट पर बहस का जवाब देते हुए इन मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने पुरुषों विशेष रूप से सी आइ टी यू के कार्यकर्ताओं की ओर से घरेलू दायित्वों के निर्वहन में महिलाओं के साथ सहयोग करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने बताया कि महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये; उन्हें पदोन्नति दी जानी चाहिये और उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। पन्धे ने एक बार फिर से दोहराया कि कामकाजी महिलाओं के बीच हमारा काम सी आइ टी यू का प्राथमिकता वाला काम है और इस 'घोषणापत्र' को गम्भीरता से लिया जाना चाहिये तथा सी आइ टी यू की सभी राज्य समितियों को इसे लागू करना चाहिये।

कामकाजी महिलाओं के मांग पत्र के साथ-साथ 'घोषणापत्र' को महाधिवेशन द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। महाधिवेशन ने मांग की कि रोजगारों तथा पदोन्नतियों के मामले में महिलाओं को समान पारिश्रमिक तथा समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। महाधिवेशन में मांग की गई कि किसी भी रूप में कामकाजी महिलाओं की छंटनी पर तत्काल रोक लगाई जाए; सभी कामकाजी महिलाओं जिनमें खेतों में काम करने वाली महिलाएं भी शामिल हैं, को प्रसूति लाभ दिये जाएं। महाधिवेशन ने महिलाओं से रात्रि पाली में काम लेने पर लगाई गई पाबंदी को समाप्त किये जाने का विरोध किया जबकि सरकार कारखाना अधिनियम में संशोधन लाकर यह पाबंदी हटाना चाहती है। महाधिवेशन ने यह मांग भी की कि सरकार कामकाजी स्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ तत्काल कानून बनाए; विशाल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इस कानून के घेरे में लाया जाए और सभी उपक्रमों में शिकायत समितियों के तत्काल गठन को यकीनी बनाया जाए।

कामकाजी महिलाओं के मांग पत्र के लिये कामकाजी महिलाओं की सभी श्रेणियों में व्यापक अभियान चलाने तथा अप्रैल 2004 में लोक सभा के अध्यक्ष को यह मांग पत्र भेंट करने के लिये दिल्ली आने वाली महिलाओं की जबरदस्त लामबंदी करने का फैसला भी किया गया। □

(पृष्ठ 3 का शेष)

एवं ग्रामीण श्रमिकों पर', 'असंगठित क्षेत्र पर', 'निजीकरण की दिवालिया नीतियों पर' और 'डब्ल्यू एस एफ पर'। एक प्रस्ताव पारित करके तेल श्रमिकों की अखिल भारतीय हड़ताल का समर्थन किया गया। कामरेड बी टी रणदिवे की जन्म शताब्दी मनाने के सम्बन्ध में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

बालानन्दन ने अपने समापन भाषण में प्रतिनिधियों को आह्वान किया कि वे वापस लौट कर महाधिवेशन की ओर से निर्धारित किये गए कामों को पूरा करने में जुट जाएं। उन्होंने प्रतिनिधियों को याद दिलाया कि समाज को बदलने तथा एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना करने के लिये सी आइ टी यू की भूमिका तथा विचार क्या हैं। चित्तब्रत मजूमदार ने प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और आश्वासन दिया कि वह सी आइ टी यू के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की सहायता एवं सहयोग से जी जान से अपने उन दायित्वों का पालन करेंगे जो महाधिवेशन की ओर से उन्हें सौंपे गए हैं।

13 दिसम्बर की शाम को एक विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की विशाल संख्या ने भाग लिया; रैली में भाग लेने वालों में बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की भी थी। उन्होंने रंग बिरंगे बैनर, तख्तियां तथा झण्डे उठा रखे थे। अनेक लोगों के हाथों में विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन के कार्टून भी थे। जनसभा की अध्यक्षता कामरेड टी के रंगराजन ने की जबकि पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार के मुख्य मंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, एम के पन्धे, ई बालानन्दन, आर उमानाथ, ए सौंदर राजन, डब्ल्यू आर वरद राजन तथा चित्तब्रत मजूमदार इत्यादि नेताओं ने भी जनसभा को सम्बोधित किया। □

प्रतिनिधियों के बारे में

क्रेडेंशियल कमेटी के संयोजक रंजीत बसु ने कमेटी की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि सम्मेलन में 24 राज्यों के 33,65,868 सीटू सदस्योंवाली यूनियनों का प्रतिनिधित्व करनेवाले 2245 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें 11 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि थीं।

46 से 60 वर्ष के आयुवर्ग के प्रतिनिधियों का हिस्सा सबसे बड़ा था। इसके बाद 36 से 45 वर्ष आयुवर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या 591 थी और 61 वर्ष से अधिक के आयुवर्ग वाले प्रतिनिधि 74 थे।

956 प्रतिनिधि मैट्रिक तक शिक्षाप्राप्त, 553 प्रतिनिधि स्नातक, 178 प्रतिनिधि स्नातकोत्तर तक शिक्षाप्राप्त और 112 प्रतिनिधि डिप्लोमा / डिग्रीधारी थे।

329 प्रतिनिधि फैक्टरी मजदूर, 359 कार्यालय कर्मचारी और 919 होलटाइमर थे।

905 प्रतिनिधि 1977-1990 की अवधि में, 456 प्रतिनिधि 1970-76 की अवधि में और 400 प्रतिनिधि 1991 के बाद ट्रेड यूनियन में शामिल हुए, जबकि 1947-69 की अवधि में ट्रेड यूनियन में आनेवाले प्रतिनिधियों की संख्या 371 थी। सम्मेलन में 22 प्रतिनिधि ऐसे थे ,जो आजादी से पहले से ट्रेड यूनियन आंदोलन में शामिल हैं।

कुल प्रतिनिधियों में 153 प्रतिनिधि ऐसे थे जिन्हें अपनी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है, 134 निलंबित हैं और 138 को किसी अन्य तरह से दंडित किया गया है।

पश्चिम बंगाल के आनंद पाठक 10 साल तक जेल में रहे हैं और तमिलनाडु के आर उमानाथ ने साढ़े नौ साल जेल में बिताए हैं।

बिहार के गणेश शंकर सिंह सबसे लंबी अवधि तक भूमिगत रहनेवाले प्रतिनिधि थे। वे कुल मिलाकर 10 साल भूमिगत रहे। क्रेडेंशियल कमेटी ने 41 यूनियनों से सीटू की संबद्धता के लिए आए नए आवेदनों को मंजूरी दे दी। इन यूनियनों की कुल सदस्यता 62,634 है।

केरल: आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संघर्ष की जीत

केरल की यू डी एफ सरकार ने - जी ओ (एम एस) संख्या 39/03/एस डब्ल्यू डी दिनांक 6 अगस्त, 2003 को एक आदेश जारी करके आंगनवाड़ी कर्मचारियों की रिटायरमैंट की आयु 58 वर्ष निश्चित कर दी है; यह आदेश 31 अगस्त, 2003 को लागू होगा। यदि उस तिथि को रविवार होगा तो 58 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को 30 अगस्त, 2003 को ही नौकरी छोड़ देने का आदेश दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप उस निर्णायक तिथि पर 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाले 4,000 से अधिक आंगनवाड़ी श्रमिक तथा सहायिकाएं केरल राज्य में, अपनी सेवा से रिटायर हो जाने पर मजबूर होना पड़ जाएगा।

यह आदेश आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर जबरदस्त आघात है क्योंकि दशकों तक आइ सी डी एस में सेवा करने के बाद उन्हें पेन्शन के लाभ प्राप्त किये बिना ही सेवा से मुक्त हो जाना पड़ेगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स एसोसिएशन, केरल ने उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के इस निर्णय को चुनौती दी है और उसने इसके लिये स्थगन आदेश जारी करने की मांग की है। उच्च न्यायालय ने 29 अगस्त, 2003 को दो महीनों के लिये स्थगन आदेश जारी किया था।

इसके साथ ही एसोसिएशन की ओर से इस प्रश्न पर संघर्षो का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। सभी जिलों में 30 अगस्त को परियोजना स्तरीय धरने दिये गए। ये धरने परियोजना कार्यालय के सामने दिये गए और प्रत्येक धरने में सैंकड़ों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया था। वे जोरदार नारे लगा रहे थे कि उन्हें सेवा से मुक्त करने की हालत में पेन्शन के लाभ दिये जाएं। सी आइ टी यू के स्थानीय नेताओं ने इन धरनों का उद्घाटन किया और संघर्ष के लिये निरंतर सहयोग देने का आश्वासन दिया। 29 सितम्बर, 2003 को जिला स्तरीय 'मार्च टू कलैक्टोरेट' का आयोजन किया गया; प्रत्येक जिले में हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। तिरुवनंथपुरम में मार्च का आयोजन राज्य सचिवमण्डल की ओर से किया गया।

एसोसिएशन की राज्य समिति की एक बैठक 15 सितम्बर को तिरुवनंथपुरम में हुई; इस बैठक में फैसला किया गया कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को रिटायरमैंट के लाभ अथवा पेन्शन दिये बिना 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर रिटायर कर देने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ 16 अक्टूबर, 2003 को 'मार्च टू सैक्रेटेरिएट' का आयोजन किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों से

लगभग 10,000 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने इस मार्च में भाग लिया। यह मार्च म्यूजियम जंकशन से शुरू हुआ और सैक्रेटेरिएट की ओर रवाना हुआ; आंगनवाड़ी महिलाएं राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ नारे लगा रही थीं। विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता वी एस अछूतानंदन सैक्रेटेरिएट के सामने आयोजित धरने का उद्घाटन किया। पी के गुरुदासन, के ओ हबीब, वी सी कार्तयायनी, ए प्रभाकरन तथा पी पद्मनी इत्यादि नेताओं ने धरनाकारियों को सम्बोधित किया।

दूसरी यूनियनों के साथ सम्बन्ध रखने वाली आंगनवाड़ी महिलाओं ने भी इन धरनों में भारी संख्या में भाग लिया; उन्होंने अनुभव कर लिया था कि केवल आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स एसोसिएशन ही राज्य में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों को लेकर लगातार संघर्ष करती चली आ रही है; यह एक महत्वपूर्ण घटना है। एसोसिएशन ने 1 नवम्बर, 2003 से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू किया है। विभिन्न परियोजनाओं से इस सत्याग्रह में प्रतिदिन लगभग चालीस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाएं भाग लेती रही। इसी संघर्ष के फलस्वरूप आखिर सरकार को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा; उसकी ओर से 18 नवम्बर, 2003 को आंगनवाड़ी कर्मचारियों की दूसरी मांगों पर विचार करने के लिये निदेशक, समाज कल्याण पर आधारित एक सदस्यीय आयोग का गठन करना पड़ा। सत्याग्रह को वापस ले लिया गया; राज्य सी आइ टी यू तथा एसोसिएशन के नेताओं की ओर से आंगनवाड़ी महिलाओं को उनकी इस जीत के लिये बधाई दी गई है।

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स यूनियन की ओर से कलैक्टोरेट कार्यालयों के सामने धरनों के लिये राज्य व्यापी कार्यक्रम चलाने का आह्वान किया गया है। ये धरने 1 दिसम्बर, 2003 से दिये जाएंगे। संघर्ष की यह कार्रवाई राज्य सरकार के आंगनवाड़ी कर्मचारियों के विरोधी रुख के खिलाफ की जा रही है।

राज्य सरकार ने 1996 में एक आदेश जारी किया था जिसके अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को राशन कार्ड तथा रिहायशी स्थान लेने की पात्र बना दिया गया था। मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडु ने कुछ मास पूर्व लोगों को 'एक करोड़ वरदान' देने की घोषणा की थी जिसके अन्तर्गत उन्होंने वादा किया था कि राज्य में सभी पात्र परिवारों को राशन कार्ड तथा मकानों के लिये जगह दी जाएगी। किन्तु जब आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अधिकारियों से सम्पर्क किया तो उन्हें बताया गया कि वे सरकार की ओर से मानदेय ले रहे हैं; इसलिये वे इन सुविधाओं के लिये पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने एक और आदेश जारी करके 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुकीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की सेवाएं उन्हें पेन्शन लाभ दिये बिना खत्म कर दी थीं। सरकार उन्हें अपने कर्मचारिंयों के रूप में मान्यता नहीं देती: यह एक तथ्य है किन्तु इसके बावजूद उसकी ओर से इस प्रकार का रुख अपनाया गया है। पहले भारत सरकार ने ये निदेश दिये थे कि क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं सरकारी कर्मचारी नहीं हैं इसलिये वे रिटायर नहीं किये जा सकते। राज्य सरकार ने कुख्यात आदेश संख्या 20 को भी अमल में लाना शुरू कर दिया है जिसके अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को नियुक्त करने का अधिकार आंगनवाड़ी केन्द्रों की देखरेख करने वाली बच्चों की माताओं पर आधारित 'मदर्स कमेटीज़' को है। इसके चलते भ्रष्टाचार में बेपनाह बढ़ोतरी हुई और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की परेशानियों में भी इजाफा हुआ है। 'मदर्स कमेटियों' के अध्यक्षों के कृपा पात्रों को काम पर लगाने के लिये अनेक आंगनवाड़ी कर्मचारियों की नौकरियां अंधाधुंध छीन ली गईं। पहले उन्हें शिक्षा विभाग के बाल शिक्षा केन्द्रों में काम करने के बदले में अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता था; किन्तु सरकार ने यह अतिरिक्त पारिश्रमिक देना बंद कर दिया है।

राज्य सरकार की इन सब कार्रवाईयों के चलते आंगनवाड़ी कर्मचारियों में भारी रोष पैदा हो गया है। यही कारण है कि हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारी धरने के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। लगभग 27,000 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने 22 जिलों में जिला कोलेक्टोरेट के कार्यालयों के सामने दिये जा रहे धरनों में भाग लिया है। 6 जिलों में तो कलैक्टर अपना दफ्तर ही खोल सके। कुछेक जिलों में तो वे दोपहर के बाद ही अपना काम कर सके। चन्द्र बाबू नायडु की सरकार ने जैसा कि वह आम तौर पर करती है, उनकी न्यायोचित मांगों का जवाब दमन से दिया है। पुलिस ने अनेक जिलों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया तथा उन्हें गिरफ्तार किया। कुछ जिलों में उन्हें धरना वाले स्थानों से हटाने के लिये पुलिस को लगभग एक घण्टे का समय लग गया। लगभग 10,000 आंगनवाड़ी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि 2,000 से अधिक पुलिस लाठीचार्ज में घायल हो गए। राज्य यूनियन की अध्यक्ष तथा महासचिव पी रोजा तथा बी ललितामा और सी आइ टी यू की राज्य समिति की सचिव जी ज्योति भी गिरफ्तार होने वाले कार्यकर्ताओं में शामिल हैं।

उसके अगले दिन यूनियन के एक शिष्टमण्डल ने इस सम्बन्ध में निदेशक से मुलाकात की और उनके साथ आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया। सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को रिटायर नहीं करने पर सहमत हो गई और न ही उनसे अतिरिक्त पारिश्रमिक दिये बिना अतिरिक्त काम लिया जाएगा। अनेक जिलों में जिला कलैक्टर उन्हें मकानों के लिये जगह तथा राशन कार्ड देने के लिये सहमत हो गए हैं।

महाराष्ट्र में ट्रेड यूनियन कक्षा तथा संगठन पर कार्यशाला का आयोजन

आंगनवाड़ी यूनियन के कार्यकर्ताओं के लिये एक राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन कक्षा एवं सांगठनिक कार्य शाला का आयोजन 25-28 दिसम्बर, 2003 को बेलापुर, नवीं मुम्बई, महाराष्ट्र में किया गया। कक्षा में राज्य के नौ जिलों के 62 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं ने भाग लिया। सी आइ टी यू की महाराष्ट्र राज्य समिति के सचिव कामरेड पी आर कृष्णन ने कक्षा का उद्घाटन किया। समाज में महिलाओं की स्थिति और उसके सामाजिक कारण, वर्गीय एकता तथा आंगनवाड़ी कर्मचारियों की भूमिका, महिलाओं की मुक्ति के मार्ग की बाधाएं, साम्प्रदायिकता, जाति व्यवस्था, न्यायपालिका, भूमण्डलीयकरण तथा कामकाजी महिलाओं पर उसके दुष्प्रभाव इत्यादि विषयों पर कक्षाओं में विचार किया गया। आंगनवाड़ी यूनियन, सी आइ टी यू तथा एडवा के नेताओं के साथ-साथ शुभा शमीम, अन्ना सावंत, सोनिया गिल तथा अजीत अभ्यंकर विभिन्न विषयों पर भाषण दिये। सी आइ टी यू की महाराष्ट्र राज्य समिति के महासचिव कामरेड के एल बजाज ने इन कक्षाओं का समापन किया। उन्होंने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित करने तथा यूनियन के कामों में उनकी मेधाओं का विकास करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को अपने संगठन को मजबूत बनाना चाहिये और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की दूसरी श्रेणियों की संगठित होने में सहायता करनी चाहिये।

महाराष्ट्र आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स यूनियन की महासचिव शुभा ने उसके बाद आयोजित सांगठनिक कार्यशाला में अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने राज्य, जिला, परियोजना तथा सेक्टर स्तर पर यूनियन की कमजोरियों तथा मजबूती पर प्रकाश डाला। उन्होंने यूनियन को मजबूत बनाने तथा उसका प्रसार करने के लिये कुछ सुझाव भी दिये। आल इंडिया फेडरेशन आफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स की महासचिव कामरेड के हेमलता ने संगठन को मजबूत बनाने के लिये कामकाज की विधियों की चर्चा की। कार्य शाला को कुछ समूहों में बांट दिया गया जिनमें रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत चर्चा की गई। समूहों की ओर से पूर्ण सत्र में अपने विचार व्यक्त किये गए और कार्यो को अंतिम रूप दिया गया। कार्यशाला में जनवादी कार्य प्रणाली तथा ट्रेड यूनियन शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया। सेक्टर स्तरीय समितियों का गठन करने तथा उनकी उपयुक्त कामकाजी व्यवस्था की ओर ध्यान देने का फैसला किया गया। कार्यशाला की ओर से विशेष कामों के आबंटन जिम्मेदारियों के आबंटन के महत्व पर बल दिया गया। यह फैसला किया गया कि सभी जिलों में इस प्रकार की जिला स्तरीय कार्यशालाओं एवं कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। सी आइ टी यू की महाराष्ट्र राज्य समिति की सचिव सुमन सांझगिरी ने कार्यशाला का समापन किया।

महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को पेन्शन देने का भरोसा

महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी कर्मचारी राज्य सरकार से पेन्शन पाने के लिये पिछले दो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के फलस्वरूप राज्य सरकार की ओर से राज्य के समाज कल्याण मंत्री जयंतराव आवले की अध्यक्षता में एक 25 जनवरी, 2002 को एक समिति का गठन किया गया। समिति इस बात पर विचार करने के लिये बनाई थी कि 'सेवा से मुक्त हो जाने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को कितनी राशि दी जाए।' यह समिति राज्य में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की यूनियनों के प्रतिनिधियों, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग के मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास के सचिव और आइ सी डी एस के आयुक्त पर आधारित है। पेन्शन की मांग के लिये संघर्ष उस समय और तेज हो गया जब राज्य सरकार ने 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके आंगनवाड़ी कर्मचारियों को रिटायर करना शुरु कर दिया था। आखिरकार, इस संघर्ष को 10 अक्टूबर, 2003 को सफलता मिली।

समिति ने पिछले एक वर्ष में अनेक बैठकें की हैं। महाराष्ट्र आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन ने प्रभावशाली ढंग से पेन्शन की उनकी मांग के पक्ष में 8 अगस्त, 2003 को जोरदार तर्क दिये थे। किन्तु महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अपने हठ पर कायम रहे और वह इस मांग को मानने के लिये सहमत नहीं हुए। वह अंशदान के आधार पर सेवा निवश्त्त होने पर केवल एक बार भुगतान करने के लिये हठ करती रहीं। यूनियन ने उनके प्रस्ताव को मानने से इन्कार कर दिया क्योंकि पिछले 25 वर्षो से सेवा कर रही आंगनवाड़ी कर्मचारी जो रिटायर होने जा रही हैं, को न्याय नहीं मिलेगा; क्योंकि उनका अंशदान बहुत अल्प होगा। यूनियन अपनी इस मांग पर दश्ढ़ रही कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को उनके आधे मानदेय के बराबर राशि पेन्शन के रूप में मिलनी चाहिये।

पेन्शन तथा दिवाली बोनस के लिये 22 सितम्बर, 2003 को राज्य व्यापी संघर्ष चलाया गया। यूनियन के प्रतिनिधियों ने 3 अक्तूबर, 2003 को मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन भेंट किया।

मुम्बई में 10 अक्टूबर, 2003 को राज्य स्तरीय धरना देने की योजना बनाई गई। किन्तु उससे पहले ही

समाज कल्याण मंत्री ने पेन्शन समिति की बैठक बुला ली जिसमें यूनियन ने जोरदार ढंग से मासिक पेन्शन के लिये अपने तर्क दिये गए। मंत्री महोदय ने आखिरकार इस पर अपनी सहमति व्यक्त की और घोषणा कर दी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की पेन्शन तथा कल्याण कोष के लिये 11 करोड़ रुपये वार्षिक की राशि अलग से रखी जाएगी। वे 2 अक्टूबर, 2002 से रिटायर हो चुके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को मासिक पेन्शन देने के लिये भी सहमत हो गए। मुख्य सचिव ने सूचना दी कि बीमा कम्पनियों के साथ उसकी बातचीत चल रही है और सरकार 11 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट में इस योजना के साथ डाक्टरी लाभ, बीमा, कल्याण कोष को जोड़ देगी; मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री ने इसके लिये अपनी स्वीकृति दे दी है।

इस योजना का ब्यौरा आइ सी डी एस के आयुक्त की ओर से तैयार किया जाएगा। उसके बाद इसे समिति के आगे मंजूरी के लिये पेश किया जाएगा। तत्पश्चात् प्रस्तावित योजना को मंत्रिमण्डल के आगे पेश किया जाएगा ताकि उसकी स्वीकश्ति ली जा सके और इसकी घोषणा सरकारी तौर पर की जा सके। इस पूरी प्रक्रिया को एक महीने के भीतर पूरा कर लेने का भरोसा दिया गया है।

आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन का पुणे जिला सम्मेलन

महाराष्ट्र आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन का पुणे जिला सम्मेलन 14 सितम्बर, 2003 को गोगेट विद्यालय में सम्पन्न हुआ। आइ सी डी एस की पांच परियोजनाओं - बारामाती, हवेली, खेड राजगुरू नगर, मुलशी तथा पुणे शहर - की आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने सम्मेलन में भाग लिया। सी आइ टी यू की महाराष्ट्र राज्य समिति की सचिव सुमन सांझगिरी ने सीटू का झण्डा लहराया। एडवा जिला समिति की अध्यक्ष उषाताई दातार ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सी आइ टी यू की जिला समिति के सचिव सतीश चवन एस एफ आइ के नेता स्वप्निल माने ने भी उद्घाटन सत्र में भाषण दिये।

यूनियन की जिला समिति की सचिव शुभा शमीम ने सम्मेलन में यूनियन की पिछली गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। सभी पांचों परियोजनाओं के प्रतिनिधियों ने बहस में भाग लिया और रिपोर्ट का अनुमोदन किया। एक 14 सदस्यीय नयी जिला समिति का चुनाव किया गया; कल्पना खाजिंदार अध्यक्ष चुन ली गई जबकि हीरा बाई घोंगे महासचिव तथा लीला खोपाडे को सर्वसम्मति से कोषाध्यक्ष चुना गया।

आंगनवाड़ी कर्मचारी हड़ताल के अधिकार के लिये हड़ताल करेंगे

आल इंडिया फेडरेशन आफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स की कार्यकारिणी की एक बैठक 6-7 दिसम्बर, 2003 को तटवर्ती नगर पांडिचेरी में हुई। फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष भवतोष राय ने बैठक की अध्यक्षता की। 34 सदस्यों तथा आमंत्रितों ने इस बैठक में भाग लिया।

बैठक में इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गई कि अनेक राज्य सरकारें 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सेवा से रिटायर हो जाने के लिये मजबूर कर रही हैं। यह भी एक तथ्य है कि सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को अपने कर्मचारियों के रूप में मान्यता नहीं देती और भारत सरकार की ओर से भी स्पष्ट निदेश दिये गए हैं कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को रिटायर नहीं किया जा सकता क्योंकि वे केवल 'सामाजिक कार्यकर्ता' हैं'। इस पर भी सरकार उन्हें रिटायर करने जैसी कार्रवाई कर रही है। उन्हें भविष्य निधि तथा पेन्शन जैसे सेवा लाभ भी नहीं मिलते। राज्यों के अनेक प्रतिनिधियों ने बताया कि वे संघर्ष के सघन कार्यक्रम चला कर ही राज्य सरकारों को ये आदेश वापस लेने के लिये मजबूर कर सके हैं। महाराष्ट्र सरकार आंगनवाड़ी कर्मचारियों को पेन्शन देने के लिये सिद्धांत रूप में सहमत हो गई है और उसने इसके लिये बजट का प्रावधान भी किया है। इसका विवरण अभी तय किया जाना है। सरकार के इन प्रयासों के चलते कार्य समिति ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि तथा पेन्शन जैसे सामाजिक सुरक्षा के लाभों के लिये अपने अभियान को और तेज करने का फैसला किया है। इन मांगों के लिये देश व्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाने का फैसला किया गया। इन मांगों के पक्ष में संसद सदस्यों तथा विधायकों से भी हस्ताक्षर कराने का फैसला किया गया। कार्य समिति ने सभी सम्बद्ध यूनियनों को आह्वान किया कि वे जनवरी तथा फरवरी में परियोजना स्तरीय प्रदर्शनों तथा धरनों का आयोजन करें।

कार्य समिति ने राज्य की एक शाखा न्यायपालिका की ओर से श्रमिक वर्ग पर बढ़ते चले जा रहे हमलों विशेष रूप से हड़ताल के अधिकार पर जैसे मामलों पर भी विचार किया। उसने राज्य सरकारी कर्मचारियों के अखिल भारतीय महासंघ तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघों के परिसंघ की ओर से हड़ताल के अधिकार पर राष्ट्र व्यापी हड़ताल के लिये किये गए आह्वान का समर्थन भी किया। आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच इन मुद्दों को लेकर व्यापक प्रचार अभियान चलाने तथा हड़ताल में भारी संख्या में कर्मचारी भाग लें, यह सुनिश्चित बनाने का फैसला भी किया गया।

कार्य समिति ने संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से संगठन पर राज्य स्तरीय कार्य शालाओं का आयोजन

(शेष पृष्ठ 13 पर)

काम करने की महिलाओं की स्वतंत्रता और रात्रि पाली

-ए आर सिंधु

भारत सरकार, मौजूदा श्रम कानूनों में से एक और कानून को मालिक वर्ग के पक्ष में संशोधित करने जा रही है। वह 1948 के फैक्टरी कानून में संशोधन करना चाहती है ताकि फैक्टरियों तथा अन्य संस्थानों में महिलाओं से रात की पाली में काम करवाया जा सके। यह विधेयक श्रम तथा कल्याण से संबंधित संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

प्रस्तावित संशोधन

फैक्टरी कानून के अनुच्छेद 66 (1)(बी) के तहत

''सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच के घंटों को छोड़कर किसी भी महिला से किसी भी फैक्टरी में काम नहीं करवाया जा सकता। बहरहाल, राज्य सरकारें किसी फैक्टरी या ग्रुप या वर्ग या फैक्टरियों के विवरण के मामले में नोटिफिकेशन के जरिए इन सीमाओं को घटा-बढ़ा सकती हैं,लेकिन ऐसा कोई भी बदलाव किसी भी महिला को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच के घंटों में रोजगार की इजाजत नहीं देगा। ''

आगे इस कानून के अनुच्छेद 66 (2) में कहा गया है कि

''अनुच्छेद 66 (1) में तय की गयी पाबंदियों में, मछली प्रसंस्करण और मछलियों को डिब्बाबंद करने की फैक्टरियों,जहां धारा (1) में तय किए गए काम के घंटों के अलावा महिलाओं का काम करना किसी कच्चे माल को नष्ट होने या बिगड़ने से बचाने के लिए आवश्यक है,राज्य सरकारें इस हद तक और ऐसे हालात के विषय में छूट देने के नियम बना सकती हैं।''

प्रस्तावित संशोधन इस कानून के अनुच्छेद 66 (1) (बी) को बदलने के जरिए तमाम उद्योगों में महिलाओं को रात की पाली में काम करने की खुली छूट देता है।

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच के घंटों को छोड़कर किसी भी फैक्टरी में महिलाओं के काम करने की जरूरत हो सकती है या उन्हें इजाजत दी जा सकती है। *''अगर फैक्टरी चलानेवाला फैक्टरी में पेशेगत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, महिला मजदूरों के लिए समान अवसर,उनकी गरिमा, सम्मान तथा सुरक्षा के लिए पर्याप्त संरक्षण और उनके आवास के सबसे नजदीक के स्थान से उनके आवागमन की व्यवस्था से संबंधित समुचित प्रबंध करता है,तो राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति संबंधित सेवायोजक तथा मजदूरों या ऐसे मजदूरों के संगठनों के प्रतिनिधियों से सलाह मशविरे के बाद ,उसकी ओर से आधिकारिक गजेट में नोटिफिकेशन के जरिए ऐसी फैक्टरी या ग्रुप या वर्ग या ऐसी शर्तों,जिनका वहां विशेष उल्लेख किया जा सकता है, को पूरा करनेवाली फैक्टरियों के विवरण में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच के घंटों में काम करने की इजाजत दे सकता है।''*

संशोधन की पृष्ठभूमि

इस संशोधन को उन दूसरे बदलावों से अलग करके नहीं देखा जा सकता जो भारत सरकार वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए करना चाहती है। दूसरे तमाम श्रम कानूनों,जैसे कि ट्रेड यूनियन कानून में संशोधन की तरह ही यह संशोधन भी आर्थिक विकास के नाम पर ही लाया जा रहा है ताकि मालिकान की श्रम बाजार ,जहां कोई भी संरक्षणात्मक कानून लागू नहीं होता,में ज्यादा ''नमनीयता'' की मांग को पूरा किया जा सके।

रात की पाली में काम करने पर लगे प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया की शुरूआत शुरू में खुद श्रम मंत्रालय द्वारा की गयी थी और यह शुरूआत हुयी थी उसके उस बयान से जो उसने अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइ एल ओ) को भेजा था।

''वाणिज्य मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है कि भारत के निर्यातों को बढ़ाने के लिए निर्यात प्रोसेसिंग जोनों में महिला मजदूरों को तीसरी पाली में काम करने की इजाजत दी जाए। ये जोन ,टापुओं (एन्कलेवों) के रूप में स्थापित किए गए हैं,जिन्हें वित्तीय बैरियरों के जरिए घरेलू शुल्क क्षेत्रों से अलगाया गया है। ये कम लागत पर निर्यात उत्पादन के लिए एक शुल्क मुक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता मुहैया कराने के लिए बनाए गए हैं। महिला मजदूरों को तीसरी पाली में काम करने की इजाजत देने से न सिर्फ स्थापित क्षमता का इस्तेमाल करने में ही मदद मिलेगी बल्कि प्रतियोगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसा करने से लागत भी कम आएगी। इससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। वाणिज्य मंत्रालय का यह भी मानना है कि इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में महिलाओं की उत्पादन क्षमता तथा टर्नओवर पुरूषों के मुकाबले ज्यादा होता है।''

रात की पाली में काम करने पर लगे प्रतिबंध को आइ एल ओ की कन्वेंशन (संख्या 89),जिसका भारत ने अनुमोदन किया है,के खिलाफ हटाने के बाद अब आइ एल ओ की इस कन्वेंशन की आलोचना करने की भी कोशिश हो रही है।

संशोधन के लिए तर्क

संशोधन के लिए जो कारण और उद्देश्य कानून मंत्री ने अपने बयान में बताए हैं,वे इस प्रकार हैं:

(1.) ''महिलाओं के लिए समानता।'' महिलाओं के कुछ संगठनों ने फैक्टरी कानून में संशोधन की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने इस कानून को भेदभावकारी बताया है और कुछ अदालतों ने यह कहा है कि रात की पाली में

काम पर लगे प्रतिबंध की संबंधित धारा असंवैधानिक है।

(2.) आइ एल ओ की कन्वेंशन के प्रोटोकोल 90 का अनुमोदन करने के लिए रात की पालियों की अवधि को संशोधित करना होगा।

(3.) भारतीय फैक्टरी मालिकों को, उनके उत्पादनों को ''सस्ता'' बनाने और समय पर लक्ष्य को पूरा करने के जरिए ,श्रम बाजार में प्रतियोगी बनाने के लिए रात के समय में महिलाओं के रोजगार में ''नमनीयता'' लानी होगी।

इस सिलसिले में मुख्य तर्क यह है कि रात की पाली में महिलाओं के काम करने पर लगी पाबंदी भेदभावकारी है और रात के समय काम करने की महिलाओं की ''आजादी'' पर प्रतिबंध है। इस तर्क में आगे यह भी कहा जाता है कि अगर महिलाओं को रात में काम करने की इजाजत नहीं दी जाती तो मालिक महिलाओं को भर्ती नहीं करेंगे और महिलाएं रात में काम करने की इच्छुक हैं। इस तर्क के पक्ष में वे कुछ सर्वे भी उद्धृत करते हैं।

दूसरा तर्क यह है कि क्योंकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बनना है,इसलिए उत्पादन को और कम लागतवाला होना चाहिए। अगर महिलाओं को रात की पाली में काम करने की इजाजत दी जाती है तो इससे महिलाओं को रोजगार और खासतौर से निर्यात प्रोसेसिंग जोनों में रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे।

सीटू का रुख

भारत सरकार का कहना है कि इस प्रस्ताव के प्रति ट्रेड यूनियनों का मुख्य विरोध लैंगिक उत्पीड़न की संभावना को लेकर है। *''वाणिज्य मंत्रालय के सुझाव पर केंद्रीय सेवायोजकों तथा मजदूर संगठनों / यूनियनों के प्रतिनिधियोंवाली संबंधित विभिन्न त्रिपक्षीय बैठकों में विचार-विमर्श हुआ है... जहां केंद्रीय सेवायोजकों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस विचार का समर्थन किया है,वहीं केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने रात की पालियों में महिलाओं के रोजगार के विचार का मुख्यतः महिला मजदूरों के लैंगिक उत्पीड़न की संभावना के आधार पर पूरी तरह विरोध किया है।''*

ऐसा नहीं है कि लैंगिक उत्पीड़न की संभावना के ही कारण ही इस प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। बल्कि ऐसे अनेक कारण हैं जिनके चलते सीटू और दूसरे ट्रेड यूनियन संगठनों ने रात की पाली में महिलाओं के काम करने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का विरोध किया है।

ट्रेड यूनियनें रात की पाली में काम करने से मजदूरों (महिला और पुरूष दोनों ही) के स्वास्थ्य पर पड़नेवाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। *''रात में काम करने के प्रदर्शन ने यह भी दिखाया है कि इससे पाचन संबंधी (गैस्ट्रोइंटेस्टिनल समस्याएं और खासतौर से अल्सर) और स्नायु समस्याएं पैदा होती हैं,जो पाली में उचित भोजन की कमी से या रात में तंबाकू तथा कॉफी के अत्यधिक सेवन से और दिन में नींद की गोलियों के इस्तेमाल से बढ़ सकती हैं। इस तरह के अध्ययन भी सामने आए हैं जो यह बताते हैं कि इससे कार्डियोवैस्कुलर (हृदय संबंधी) बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है,जो मुख्यतः रात की पाली में काम करनेवाले मजदूरों की खान-पान की आदतों के चलते होती हैं। शिफ्ट वर्क और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित हाल के अध्ययन यह दिखाते हैं कि रात में काम करने और अनियमित काम के घंटों से प्रजनन संबंधी जोखिम जैसे कि स्वतःगर्भपात, समय से पहले बच्चे का जन्म और जन्म के समय बच्चे का कम वजन आदि भी जुड़े हो सकते हैं। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में व्यवधान से मनोवैज्ञानिक दबाव रात में काम करनेवाले मजदूरों पर बढ़ जाते हैं,जो कमोबेश गंभीर होते हैं या जिनके परिणाम उनके पारिवारिक संबंधों,जीवन शैली या सामाजिक समायोजन में सामने आते हैं। ''* (आइ एल ओ की विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट।)

इसके अलावा महिलाओं को काम का दोगुना बोझ उठाना पड़ता है अर्थात घर के काम का भी और कार्यस्थल के काम का भी। घर के काम के बोझ और बच्चों की देखभाल,जिसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है,के चलते किसी भी महिला को दिन में विश्राम नहीं मिलेगा।

फिर लैंगिक उत्पीड़न और शोषण का मुद्दा तो है ही। आज भारत में दिन में भी और यहां तक कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अध्ययन दिखाते हैं कि 93 फीसद महिला मजदूरों को अपने कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। यात्रा के समय सुरक्षा के मुद्दे भी इससे जुड़े हुए हैं।

पहले, 1948 में रात की पाली में काम करने के प्रतिबंध के घंटों में (विकासशील देशों द्वारा) ज्यादा नमनीयता की इजाजत देने पर विचार करते हुए खुद भारत सरकार ने सुरक्षा का स्तर कम होने पर चिंता दिखायी थी। यह कहा गया था कि भारत में जो सामाजिक और आर्थिक स्थितियां हैं,वे औद्योगीकृत देशों से भिन्न हैं।

जहां तक निर्यात प्रोसेसिंग जोनों में रोजगार के अवसरों और आर्थिक विकास और वहां काम की स्थितियों का सवाल है, आइ एल ओ की रिपोर्ट में उस स्थिति का ब्यौरा यूं दिया गया है:

''आज अनियमित काम के घंटों और रात में काम करने की , कुछ लोगों द्वारा आर्थिक जरूरतों के दबाव तथा रोजगार सृजन से संबंधित चिंताओं, निर्यात वृद्धि तथा लागत प्रतियोगिता की जरूरत की बातें करने के जरिए व्याख्या की जा रही है। मजदूर व्यापक बेरोजगारी के खतरे का सामना कर रहे हैं और अक्सर उनके सामने काम पाने की कीमत के रूप में ''असामाजिक घंटों'' की असलियत को स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। जब हम नयी सदी में प्रवेश कर रहे हैं ,बेहद लंबे काम के घंटों के विशिष्ट उदाहरण निर्यात प्रोसेसिंग जोनों या ई पी जेड्स,जो किसी देश की निर्यातोन्मुखी विकास रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए अनेक विकासशील देशों में स्थापित किए गए हैं, में देखने को मिलते हैं। ई पी जेड्स की खास विशेषताएं हैं,महिला मजदूरों

का ऊंचा अनुपात (मुख्यतः युवा महिला मजदूर ,जो कम वेतन पर कम दक्षतावाला काम करती हैं), ओवरटाइम काम का बेहद इस्तेमाल, रोजगार असुरक्षा और यूनियनाइजेशन की नीची दर। इस तरह की स्थिति सामाजिक रूप से समस्यात्मक रोजगार स्थितियां तैयार करती है। चिंता की बात यह है कि अनेक ई पी जेड्स में उत्पादन के अवास्तविक ऊंचे लक्ष्य तय किए जाते हैं जिनका परिणाम अक्सर रात के काम और भारी ओवर टाइम के रूप में सामने आता है जिन्हें तय समय में लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक माना जाता है। कमेटी ने अनेक मौकों पर ई पी जेड्स में काम की स्थितियों के मुद्दे पर विचार किया है और बार-बार इस जरूरत पर जोर दिया है कि जिन देशों में ई पी जेड काम कर रहे हैं,उन्हें काम की स्थितियों को सुधारने की जरूरत है और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वे ट्रेड यूनियनों तथा सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुरूप हों।''

सीटू और दूसरी ट्रेड यूनियनें रात के काम पर पाबंदी समेत किसी भी कानून की समीक्षा करने या उसे संशोधित करने के किसी भी विचार की विरोधी नहीं हैं। जब भी कोई नयी स्थिति या नया क्षेत्र उभर कर सामने आता है तो प्रतिबंध को महिलाओं के बराबरी के व्यवहार के उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पहले ही अनेक क्षेत्रों को इस प्रतिबंध से छूट दी जा चुकी है,जैसे मछली पालन, स्वास्थ्य क्षेत्र, टेलीकम्युनिकेशन, हवाई यात्रा और कुछ आवश्यक सेवाएं आदि ऐसे ही क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में महिलाओं को रात में काम करने की इजाजत है। महिलाओं के लिए संरक्षणात्मक कदमों की समीक्षा यह सुनिश्चित करते हुए की जानी चाहिए कि उस क्षेत्र विशेष में उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा और उन्हें समान अवसर दिए जाएंगे। ऐसी समीक्षा समुचित त्रिपक्षीय विचार-विमर्श और ट्रेड यूनियनों के साथ सामूहिक निर्णय के आधार पर की जानी चाहिए। संरक्षणात्मक कदमों को छोड़ देने या उनको संशोधित करने के बारे में निर्णय लेते हुए आइ एल ओ के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। *''मौजूदा काम की स्थितियों, कानूनों को लागू करनेवाले प्रभावी प्रशासन की मौजूदगी, समुचित प्रशिक्षण तथा नियमन उपायों और सांस्कृतिक तथा धार्मिक पैटर्नों के महत्व का समुचित ख्याल रखा जाना चाहिए।''* यहां तक कि जिन स्थानों पर रात में काम करने की अनुमति है,वहां के लिए भी हमारी मांग यह है कि संरक्षणात्मक कदमों को समुचित कानूनी रूप मिले और उन्हें लागू किया जाए।

इस विचारधारा कि ''महिलाओं को बाहर कोई काम नहीं करना चाहिए या कि रात में काम नहीं करना चाहिए'' का विरोध करते हुए हमें सामाजिक स्थिति की और संरक्षणात्मक कानूनों के महत्व की समझ होनी चाहिए। भारतीय निजी क्षेत्र और कानूनों को लागू करनेवाली मशीनरी का रिकार्ड यह दिखाता है कि न सिर्फ महिलाओं के लिए संरक्षणात्मक कानूनों बल्कि बुनियादी श्रम कानूनों का भी निरंतर उल्लंघन किया जा रहा है। यह दलील देना कि रात में सात घंटे तक उद्योगों में महिलाओं के काम करने पर पाबंदी लगानेवाला भारतीय कानून महिलाओं की आजादी पर पाबंदी लगाता है और इसलिए इस प्रतिबंध को हटा लिया जाना चाहिए,वास्तव में मजदूरों पर हमलों के खिलाफ चलनेवाले प्रतिरोध आंदोलन को कमजोर करने की एक सोची-समझी कोशिश ही है।

संरक्षण खत्म करने की कोशिश

यह दलील देना कि मालिकान महिलाओं को इसलिए भर्ती नहीं करते क्योंकि उनके रात में काम करने पर प्रतिबंध है और कि महिलाएं तो रात में काम करने की इच्छुक हैं, इस समझ पर आधारित है कि मौजूदा हालात में एडजस्ट करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। फिर तो यह तर्क मातृत्व लाभ और यहां तक कि न्यूनतम वेतन कानून और दूसरे श्रम कानूनों समेत तमाम मौजूदा संरक्षणात्मक कदमों पर भी लागू हो सकता है। फैक्टरी गेट में दाखिल होते ही किसी महिला को अपना *मंगलसूत्र* उतारने पर मजबूर किया जा सकता है क्योंकि मालिक मातृत्व लाभ कानून को लागू नहीं करना चाहता और यह पता चलते ही कि वह विवाहित है,उसे फौरन नौकरी से निकाला जा सकता है। भारतीय श्रम शक्ति आज इतनी दयनीय स्थिति में है कि उसे देख कर लगता है कि बंधुआ मजदूरी हमारे देश में अब भी कायम है। और पूंजीवादी विचारधारा तो वेश्यावृति को भी ''अपनी पसंद के पेशे के रूप में'' चित्रित करने की कोशिश करती है।

इसलिए यह संशोधन वास्तव में एक और संरक्षणात्मक कानून को खत्म करनेवाला कदम ही है। यहां तक कि इस संशोधन की भाषा भी मालिकान के तमाम हितों की रक्षा में सन्नद्ध है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ किसी तरह का विचार-विमर्श करना जरूरी नहीं समझा गया है। मजदूरों के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया है। गर्भवती महिलाओं के लिए कोई संरक्षण नहीं है। बच्चों की देख-रेख की कोई बात नहीं है और न ही महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित या उन्हें लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के कोई स्पष्ट कदम बताए गए हैं। यहां तक कि सुरक्षात्मक उपाय करने की जिम्मेदारी भी मालिकान पर नहीं बल्कि फैक्टरी ''चलानेवालों'' पर ही डाली गयी है।

सीटू ने संसद की स्थायी समिति को पत्र लिखकर इस संशोधन प्रस्ताव को खारिज कर देने की मांग की है और व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिए जाने की मांग की है।

तमाम सुरक्षात्मक कानून भारतीय मजदूर वर्ग के लंबे संघर्षों और भारी कुर्बानियों का प्रतिफल हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मजदूर वर्ग का शोषण और उनकी उपलब्धियों पर हमले तेज हो गए हैं। हमें इनसे वैचारिक और राजनीतिक दोनों ही स्तरों पर लड़ना होगा। वक्त का तकाजा है कि तमाम सुरक्षात्मक कानूनों में कटौती किए जाने के कदमों के खिलाफ संयुक्त संघर्षों को सघन बनाया जाए। □

युरोप में हड़तालों की लहर

विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से आगे बढ़ाई जा रही भूमण्डलीयकरण की नव-उदार नीतियां जिनका पालन विश्व भर में अनेक देशों द्वारा किया जा रहा है; श्रमिकों के अधिकारों तथा उनके उन लाभों पर धावा बोल रही हैं, जिन्हें उन्होंने कठोर संघर्ष करके प्राप्त किया था। श्रमिकों की ओर से निजीकरण, पेन्शन सुधारों, सामाजिक सुरक्षा अथवा बेरोजगारी के लाभों में कटौती या उन्हें वापस लिये जाने के खिलाफ किये जा रहे संघर्ष विश्व भर में बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्वीडन, जर्मनी तथा आस्ट्रिया जैसे युरोप के अनेक देशों में पिछले कुछ महीनों के दौरान हड़तालों की लहर चलती रही है जिसमें दसियों लाख श्रमिकों ने भाग लिया; भाग लेने वालों में महिलाओं की भी बड़ी संख्या थी। रेलवे तथा उत्खनन के श्रमिकों, शिक्षकों, स्वस्थ्य कर्मचारियों तथा परिवहन श्रमिकों की ओर से इन हड़तालों में भाग लिया गया।

इटली में 24 अक्टूबर, 2003 को एक दिन की हड़ताल की गई; यह हड़ताल इटली की तीन प्रमुख यूनियनों - जनरल कनफेडरेशन आफ इटालियन वर्कर्स (सीजीआइएल), द इटालियन कनफेडरेशन आफ वर्कर्स यूनियन (सीआइएसएल) तथा यूनियन आफ इटालियन वर्कर्स (यूआइएल) - की ओर से सरकार द्वारा प्रस्तावित पेन्शन सुधारों के खिलाफ की गई। कुछ स्वतंत्र श्रमिक संघों तथा जनरल लेबर यूनियन जैसी दूसरी ट्रेड यूनियनों ने भी इस हड़ताल में भाग लिया था।

श्रमिक संघों ने सरकार की ऐसी नीतियां अपनाने के लिये आलोचना की गई जिनके चलते सरकार मुद्रा स्फीति को रोक पाने में विफल रही है और श्रमिकों की क्रय शक्ति में कटौती हुई है। सरकार पेन्शन भोगियों पर संकट का बोझ डाल कर सरकारी घाटे को दूर कर पाने की अपनी विफलता पर पर्दा डाल रही है। सरकार की कर नीति कम्पनियों के लिये लाभकारी है किन्तु कर्मचारियों तथा रिटायर हो चुके लोगों से उसे कोई लेना देना नहीं है। सरकार सामाजिक सुरक्षा के लाभों में कटौती कर रही है।

सीजीआइएल, सीआइएसएल तथा यूआइएल की ओर से हजारों पर्चे छापे गए हैं जिन्हें देश भर में आयोजित 100 से अधिक प्रदर्शनों में बांटा गया था। 70 प्रतिशत से अधिक श्रमिकों अर्थात् लगभग एक करोड़ लोगों ने हड़ताल में भाग लिया था। लगभग 15 लाख लोगों ने सड़कों पर उतर कर इन प्रदशनों में भाग लिया है। ये प्रदर्शन मिलान, रोम, बोलोगना तथा नेपल्स में किये गए। श्रमिक संघों की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि सरकार ने पेन्शन में प्रस्तावित सुधार करने की अपनी योजना को वापस नहीं लिया तो वे और अधिक हड़तालें करके अपना संघर्ष तेज करेंगे।

बुलगारिया में श्रमिक संघ विरोध की अनेक कार्रवाईयां करके सरकार की आर्थिक एवं सामाजिक नीति में बदलाव लाने की मांग कर रहे हैं। देश भर में रैलियों एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है या किया जा चुका है। इन प्रदर्शनों में 6,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। महिलाओं की सार्वजनिक संसद जो 40 महिला संगठनों का एक समूह है, के साथ-साथ सीआइटीयूबी की ओर से सरकार की उस योजना के खिलाफ एक याचिका तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत वह वेतनों के 80 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक सिक पे की कटौती करना चाहती है। उनकी ओर से संसद भवन के आगे धरना भी दिया गया। बुलगारिया के सब से बड़े ट्रेड यूनियन संगठन - द कनफैडरेशन आफ इंडिपैंडैट ट्रेड यूनियन्स इन बुलगारिया (सीआइटीयूबी) तथा पोडकरेपा यूनियन कनफेडरेशन की ओर से 'अधिकारों एवं न्याय के लिये एकजुटता' के नारे के अन्तर्गत विरोध की इन कार्रवाईयों का आयोजन किया गया है जिसकी परिणति नवम्बर, 2003 में सोफिया में एक विशाल प्रदर्शन के साथ होगी।

रोमानिया में रोमन एसए - राज्य के स्वामित्व वाली मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी जो रोमानिया के सबसे बड़े शहरों में से एस बरासोव में स्थित है; के लगभग 5,000 कर्मचारियों की ओर से सरकार के निजीकरण के अभियान के खिलाफ विरोध की अनेक कार्रवाईयां की जा चुकी हैं। उसके नये प्राइवेट प्रबंधन ने बताया कि वह इस संयंत्र के केवल एक भाग का अधिग्रहण करेगा और केवल 800 श्रमिकों को काम पर रखेगा। □

(पृष्ठ 9 का शेष)

करने का फैसला भी किया। देश के पूर्वी क्षेत्र तथा हिन्दी भाषी राज्यों में भी कार्य शालाओं का आयोजन करने का फैसला किया गया। फेडरेशन के सितम्बर, 2002 में पुरी में आयोजित सम्मेलन में लिये गए फैसलों के कार्यान्वयन की मध्यावधि समीक्षा करने का काम सितम्बर 2004 से पूरा कर लेने का फैसला भी किया गया।

पांडिचेरि के राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के परिसंघ की ओर से कार्य समिति की बैठक की पूर्व संध्या में 'हड़ताल के अधिकार' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। फेडरेशन की कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु ने संगोष्ठी में भाषण दिया। केन्द्रीय शासित प्रदेश में काम करने वाली आंगनवाड़ी महिलाओं ने भारी संख्या में इस संगोष्ठी में भाग लिया।

चेन्नई में आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग विमन की बैठक

आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग विमन (सीटू) की बैठक 14 दिसम्बर, 2003 को चेन्नई में हुई; यह उसके सातवें सम्मेलन के बाद पहली बैठक थी जो सी आइ टी यू के 11वें महाधिवेशन के तत्काल बाद हुई। केरल की नाजीमुनीसा ने बैठक की अध्यक्षता की; बैठक में 11 राज्यों की प्रतिनिधियों की ओर से भाग लिया गया। सी आइ टी यू के केन्द्रीय सचिवमण्डल के चार सदस्यों कनाई बनर्जी, मर्सीकुट्टी अम्मा, रोजा तथा हेमलता जो समन्वय समिति की सचिव भी हैं, ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में समन्वय समिति के सम्मेलन तथा सी आइ टी यू महाधिवेशन में महिलाओं की उपस्थिति की समीक्षा की गई।

समन्वय समिति की ओर से सी आइ टी यू की महाराष्ट्र राज्य समिति, राज्य समन्वय समिति विशेष रूप से उसके नेताओं सुमन सांझगिरी, शुभा शमीम, के एल बजाज तथा पी आर कृष्णन को मुम्बई में समन्वय समिति का आयोजन करने के लिये बधाई दी गई; सी आइ टी यू की तमिलनाडु राज्य समिति तथा राज्य समन्वय समिति को सी आइ टी यू महाधिवेशन के शानदार प्रबंध करने के लिये भी बधाई दी गई।

समन्वय समिति की ओर से सी आइ टी यू के उस फैसले की सराहना की गई जिसके अन्तर्गत कामकाजी महिलाओं के बीच हमारे काम के बारे में घोषणापत्र पर बहस के लिये आधे दिन का समय रखा गया था। राज्य समन्वय समिति से कहा गया था कि वह महाधिवेशन में पारित घोषणापत्र पर समुचित ढंग से बहस हो, इसे यकीनी बनाया जाए। इसके साथ ही सी आइ टी यू की राज्य समिति की ओर से भी इसे लागू करने के लिये आवश्यक कदम उठाए गए थे।

समन्वय समिति की ओर से प्रसन्नता व्यक्त की गई कि सी आइ टी यू के केन्द्रीय सचिवमण्डल में महिला सदस्यों की संख्या बढ़ी है। भले ही यह वृद्धि मामूली ही क्यों न हो। अब सचिव मण्डल के 35 सदस्यों में से 4 महिलाएं हैं। यह भी रेखांकित किया गया कि दो राज्यों असम तथा हिमाचल प्रदेश में महिलाएं सचिवमण्डल के सदस्यों की संख्या का एक तिहाई भाग हैं।

समन्वय समिति ने काम के अधिकार पर होने वाली अखिल भारतीय हड़ताल में कामकाजी महिलाओं की व्यापक भागीदारी को यकीनी बनाने के लिये व्यापक प्रचार अभियान चलाने का फैसला किया है; यह हड़ताल फरवरी 2004 में होगी।(अब हड़ताल की तिथि का फैसला हो चुका है; यह हड़ताल 24 फरवरी को होगी)। हड़ताल के लिए स्वतंत्र रूप से अभियान चलाया जाएगा जिसके अन्तर्गत पर्चे बांटे जाएंगे तथा गेट मीटिंगें की जाएंगी।

इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि मुम्बई में आयोजित समन्वय समिति के सम्मेलन के मौके पर समयाभाव के कारण गृह आधारित उद्योग धंधों में काम करने वाले श्रमिकों की समस्याओं पर बहस करना सम्भव नहीं हो सका था; इसलिये समन्वय समिति ने इस पर अपनी अगली बैठक में बहस कराने का फैसला किया गया है। यह भी रेखांकित किया गया कि कुछ राज्य समितियों ने पहले ही इन श्रमिकों की समस्याओं पर सर्वेक्षण कराने का काम पूरा कर लिया है। राज्य समन्वय समितियों से कहा गया है कि वे उन उद्योगो को प्राथमिकता दें जहां सी आइ टी यू हस्तक्षेप करने की स्थिति में हो।

समन्वय समिति ने मुम्बई सम्मेलन की ओर से पारित मांग पत्र पर अभियान चलाने तथा उसकी तैयारियां शुरू कर देने का फैसला किया है। संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं से हस्ताक्षर कराने का अभियान चलाने का फैसला भी किया गया है। यह हस्ताक्षर लोक सभा के अध्यक्ष को भेंट किये जाने वाले ज्ञापन पर कराए जाएंगे। यह ज्ञापन नयी दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के एक विशाल जमावड़े की ओर से उन्हें भेंट किया जाएगा; इसकी तिथि का फैसला बाद में किया जाएगा।

कनाई बनर्जी ने विचार व्यक्त किया कि कामकाजी महिलाओं के बीच में से कार्यकर्ताओं का विकास करने की भारी सम्भावनाएं हैं।

तेल क्षेत्र के श्रमिकों की मुकम्मल हड़ताल

पूरे देश में 16 दिसंबर, 2003 क सार्वजनिक क्षेत्र के समूचे तेल उद्योग में विराट हड़ताल रही। तेल उद्योग के डेढ़ लाख से ज्यादा मजदूरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया, जबकि ऑफिसर्स एसोसिएशन ने समर्थन दिया और एकजुटता व्यक्त की।

हड़ताल इस लिहाज से ऐतिहासिक रही कि समूचे तेल क्षेत्र में मजदूरों की यह अब तक की सबसे पहली संयुक्त हड़ताल कार्रवाई थी और वह भी राष्ट्रीय महत्व के बुनियादी मुद्दे पर। हड़ताल के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के 6 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र मजदूरों की यह पहली हड़ताल कार्रवाई भी थी।

सार्वजनिक क्षेत्र की दो मुख्य तेल कंपनियों ओएनजीसी तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड में हड़ताल का मिला-जुला असर रहा। पूरे देश में ऑयल इंडिया लिमिटेड के सभी इकाइयों में हालांकि हड़ताल शत-प्रतिशत सफल रही, असम और त्रिपुरा में सभी जगहों पर ओनजीसी के अलग-अलग कार्यालयों तथा ड्रिलिंग लोकशंस (तेल कुओं में खुदाई स्थलों) में पूर्ण हड़ताल दर्ज की गई। बहरहाल, मुंबई और वडोदरा स्थित ओएनजीसी के दो प्रमुख स्थलों पर इंटक तथा बीएमएस से संबद्ध मान्यताप्राप्त यूनियनों ने कार्यस्थलों पर प्रदर्शन और सभा आयोजित कर हड़ताल का समर्थन किया।

इस हड़ताल का फैसला तेल क्षेत्र के मजदूरों व कर्मचारियों की राष्ट्रीय कन्वेंशन में लिया गया था। यह कन्वेंशन तेल क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयों के निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रीय एकीकृत फोरम के तत्वावधान में 16 नवंबर को गुवाहाटी में हुई थी। कन्वेंशन में तेल क्षेत्र से जुड़ी सभी सार्वजनिक कंपनियों—ओ एन जी सी, आइ ओ सी, बी पी सी एल, एच पी सी एल, आइल इंडिया लि0, असम व कोच्चि रिफाइनरी लि0, आइ बी पी लि0, आइ ओ बी एल तथा बामर लावाइर—में काम कर रहीं यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस कन्वेंशन में यह भी तय किया गया था कि ''अगर सरकार तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण करने का अपना अभियान जारी रखती है तो, मजदूरों को अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ेगा।''

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा का वादाः एक चुनावी स्टंट

चुनाव की घोषणा से पहले एन डी ए सरकार ने हड़बड़ी में आकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की तथाकथित सुरक्षा और कई दूसरी चीजों की घोषणा कर दी है। जल्दी करने के इसी चक्कर केन्द्रीय मंत्रिमण्डल अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों के लिये जब पेन्शन पर प्रेस के सामने जब पायलट परियोजना पर चर्चा कर रहा था, लेकिन उसने परियोजना को उपयुक्त बनाने के लिये न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं की परवाह नहीं की। एन डी ए सरकार की ओर से उपरोक्त परियोजना की जानकारी को वक्तव्य में रेखांकित किया गया था कि पूरी मेहनतकश आबादी को अनौपचारिक अर्थ व्यवस्था की गारंटी देता है जिसका मतलब है 37 करोड़ लोग। लेकिन सच्चाई यह है कि पायलट परियोजना चुने हुए राज्यों में केवल दस लाख लोगों को ही मुहैया कराया जाए, जिसे अब तक चिन्हित नहीं किया गया है जैसा कि मीडिया ने रिपोर्ट दी है।

परियोजना में 36 से 50 वर्ष की आयु के मजदूरों को शामिल नहीं किया गया है, जब तक पेन्शन खरीदने के लिये वे 200 रुपये की सहयोग राशि नहीं देते। यह आयु वर्ग असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। जब सरकार ही इसे स्वीकार करती है कि राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी 1800 रुपये है जबकि बहुत मजदूर इस स्तर से भी कम पाते हैं, और क्या यह व्यावहारिक है कि उनसे प्रति मास 200 रुपये लिये जाएं और क्या वे आज की स्थिति में एक मनुष्य की तरह जीवन यापन कर सकते हैं? सरकारी अधिसूचना गारंटी देती है कि परियोजना को पूरी राशि मिलेगी और मूल्यांकित परियोजना होगी। मजदूरों, कर्मचारियों (असंगठित क्षेत्र में अधिकांश मामले में जिनकी पहचान नहीं हो पाती है) के सहयोग से फंड सृजन की प्रस्तावित परियोजना और सरकार द्वारा 1800 (नेशनल फ्लोर स्तरीय न्यूनतम मजदूरी) का केवल 1.16 प्रतिशत योगदान असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के एक बड़े हिस्से को 500 रुपये का भी पेन्शन सुनिश्चित नहीं कर सकता, जहां सेवा निवृत्ति की कोई निश्चित आयु नहीं है। पूरे मजदूर वर्ग को शामिल नहीं किया जा सकता, जैसा कि सरकार सबों को शामिल होने का दावा करती है। यह एक साधारण गणित है और कुछ नहीं।

पूर्ण रूप से एन डी ए सरकार का असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये तथाकथित सामाजिक सुरक्षा के लिये पायलट परियोजना पूरी लागू होने की बजाए आगामी चुनाव के मद्देनजर सार्वजनिक उपभोग के मकसद से है। और यही वजह है कि प्रस्तावित असंगठित क्षेत्र मजदूर विधेयक पर डेढ़ वर्षों की मेहनत के बाद एन डी ए सरकार ने उसे बक्से में बंद कर दिया है और बिना किसी वित्तीय मदद के पायलट परियोजना शुरू करने की योजना बनाई है जिसका भविष्य सरकार के अपने ही प्रवक्ता के अनुसार अनिश्चित है। यह असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अर्थपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के स्थान पर चुनावी प्रचार को प्रतिबिम्बित करता है।

कत्ल करने का अधिकार

उच्चतम न्यायालय ने 6 अगस्त, 2003 को हड़ताल के प्रश्न पर जो फैसला दिया था उसके बाद बहुत कुछ बदल चुका है। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि 'कृकृकृहड़ताल करने का अधिकार चाहे वह मौलिक हो, विधायी हो, समतावादी हो अथवा नैतिक ---हमारे विचार में, सरकारी कर्मचारियों के मामले में ऐसे किसी अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं हैकृकृ कृयहां तक कि श्रमिक संघों को भी जिन्हें सामूहिक सौदेबाजी करने का गारंटीशुदा अधिकार है, हड़ताल पर जाने का कोई अधिकार नहीं है।'

देश के सभी श्रमिक संगठनों ने अदालत के इस फैसले का जोरदार शब्दों में विरोध किया था और मांग की थी कि सरकार समुचित कानून बना कर इस फैसले के नकारात्मक प्रभावों को असरहीन करने के लिये तत्काल कार्रवाई करे।

हालात रोज ब रोज बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और उच्चतम न्यायालय के फैसले के दुष्प्रभाव अनेक स्थानों पर श्रमिक आंदोलन पर पड़ने लगे हैं। रांची उच्च न्यायालय ने अक्टूबर, 2003 में बोकारो इस्पात संयंत्र के श्रमिकों की ओर से हड़ताल की कार्रवाई करने पर पाबंदी लगा दी गई थी और ऐसा करते समय उसने उच्चतम न्यायालय के 6 अगस्त के फैसले का उल्लेख किया था। यदि श्रमिक वर्ग हड़ताल की शक्तिशाली कार्रवाई नहीं करेगा तो इस प्रकार के कई प्रतिबंध श्रमिकों की हड़ताल की कार्रवाईयों पर लग जाएंगे। इसलिये हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है; इसमें अब और देरी नहीं की जा सकती।

जहां शीर्ष न्यायालय ने श्रमजीवी जनता के हड़ताल करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है वहीं सेवायोजकों अथवा मालिकों की श्रेणी उन्हें 'मार डालने के अधिकार' का दामन थामें बैठी है। उच्चतम न्यायालय ने दिसम्बर 2003 में एक ताजातरीन फैसला देकर केरल राज्य में एक सेवायोजक को उस पर लगे सभी आरोपों से बरी कर दिया है; उस सेवा योजक पर आरोप था कि उसने 15 मार्च, 1998 को हड़ताल के दिन कारखाने के गेट के आगे धरने पर बैठे दो श्रमिकों की गोली मार कर हत्या कर दी थी। यह हत्या दिन दिहाड़े की गई थी, पर शीर्ष अदालत ने हत्या करने वाले को बरी कर दिया; इस आधार पर कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। अदालत ने अपने फैसले की घोषणा करते समय सरकार को आदेश दिया कि वह 'कड़ाई के साथ' हड़ताल करने वालों से निपटे। (टाइम्स आफ इंडिया, 18-12-2003) किन्तु बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने वाली यही पीठ सेवा योजकों तथा कारोबारी श्रेणी की ओर से की जाने वाली छंटनियों, तालाबंदी, कामबंदियों, ले-आफ जैसी कार्रवाईयों पर रहस्यमयी ढंग से चुप्पी साधे रखती है। □

हड़ताल के अधिकार के लिये हड़ताल

बी एम एस को छोड़ कर शेष सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों जिनमें इंटक भी शामिल है, ने 24 फरवरी, 2004 को अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया है। राज्य सरकारी कर्मचारियों के अखिल भारतीय महासंघ तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिसंघ ने घोषणा की थी कि वे 11 फरवरी की बजाए 24 फरवरी को हड़ताल करेंगे। केन्द्रीय सरकार हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय के फेसले के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठाने में असफल रही है। यद्यपि प्रधानमंत्री ने ऐसा करने का आश्वासन दिया था। बढती चली जा रही बेरोजगारी, गहराती दरिद्रता, सार्वजनिक क्षेत्र के विनाश तथा श्रमिकों के अधिकारों पर बढ़ते हमलों के चलते लोगों के आगे हड़ताल करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहा है। यह हड़ताल सरकार को चेतावनी होगी कि वह श्रमिकों के अधिकारों में कटौती करने से बाज आए। इसके अतिरिक्त यह हड़ताल साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ भी होगी।

हड़ताल करने का अधिकार श्रमिकों को किसी की कृपा से नहीं मिला; यह श्रमिक वर्ग का एक अभिन्न अधिकार है और श्रमिक वर्ग ने यह अधिकार लम्बे एवं कठोर संघर्षों के फलस्वरूप प्राप्त किया है; उसने अपने श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का बलिदान दिया है। हम और अधिक तीखे संघर्ष करके अपने इस अधिकार की रक्षा करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

हड़ताल करने के अधिकार की रक्षा करो!

24 फरवरी, 2004 को अखिल भारतीय हड़ताल में भाग लो!!

सी आइ टी यू ग्यारहवें महाधिवेशन की ओर से निर्धारित हमारे तात्कालिक कार्य

1. भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खतरनाक दुष्परिणामों के बारे में श्रमिक वर्ग में चलाए जा रहे अभियान में मजबूती लाना और विकास के जनवादी रास्ते की ठोस वैकल्पिक नीतियां पेश करना;
2. सांगठनिक सम्बद्धताओं से ऊपर उठ कर कोष/बैंक/विश्व व्यापार संगठन के निदेशों के खिलाफ और पूरे भारत में शक्तिशाली संयुक्त संघर्ष चलाने के लिये सांझे नारों के आधार पर श्रमिक वर्ग में एकता लाने के लिये संघर्ष करना;
3. राष्ट्रीय जन संगठन मंच तथा आयोजन समितियों को मजबूत बनाना और राष्ट्रीय हितों को बचाने के लिये उन्हें संयुक्त जन संघर्षों के एक उपयुक्त मंच के रूप में विकसित करना;
4. उन ताकतों को बेनकाब करना जो श्रमिक आंदोलन के भीतर फूट डालने का काम करती हैं, उनका उद्देश्य पूंजीपति वर्ग की जरूरतों को पूरा करना होता है;
5. भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ संघर्षों के एक मजबूत आधार के रूप में किसान एवं खेतिहर श्रमिकों के आंदोलनों के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित करना;
6. साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ अभियान को और तेज करना जो लोगों का ध्यान उनकी ज्वलंत समस्याओं की ओर से हटा कर संकीर्ण एवं मूलवादी मुद्दों की ओर खींचती हैं तथा इस प्रकार वे भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ कायम की गई जनता की एकता को भंग करती हैं।
7. विश्व सामाजिक मंच की मुम्बई बैठक को सफल बनाने के लिये गम्भीर प्रयास करते समय पूरे विश्व भर में चल रहे भूमण्डलीयकरण विरोधी आंदोलनों के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित करना;
8. ट्रेड यूनियन एवं जनवादी अधिकारों जिनमें हड़ताल करने का अधिकार भी शामिल है, पर हमलों के खिलाफ देश व्यापी हड़ताल की तैयारियां करना;
9. एक स्वतंत्र जन संगठन के रूप में सी आइ टी यू की जनवादी कार्य प्रणाली को मजबूत बनाना और वर्ष 2004 के अंत तक उसकी सदस्य संख्या को बढ़ा कर चालीस लाख करना;
10. पूरा वर्ष कामरेड बी टी रणदिवे की जन्म शताब्दी मनाना और इस दौरान विचारधारात्मक एवं सांगठनिक प्रश्नों तथा कामरेड बीटीआर की शिक्षाओं पर ट्रेड यूनियन कक्षाओं, संगोष्ठियों तथा व्याख्यानों के माध्यम से सघन शैक्षणिक अभियान चलाना;
11. साम्राज्यवादी हथकण्डों के खिलाफ विश्व व्यापी संघर्षों की राजनीतिक कार्रवाईयों तथा समाज का समाजवादी रूपांतरण करने के लिये चल रहे सार्वभौमिक संघर्षों में श्रमिकों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करना।

के. हेमलता द्वारा आल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स के लिए, ए-13, राऊज एवेन्यू नई दिल्ली-2 से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित